न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रकरण सं0 24/2021 प्रार्थना पत्र

1. आदर्श सरोज विद्या मंदिर समिति नांगल राजावतान जरिये मंत्री बनवारी लाल शर्मा।
...प्रार्थी

बनाम

सरकार
...अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः नामांतरकरण खोलने बाबत।

उपस्थित–1. श्री बनवारी लाल शर्मा, मंत्री आदर्श सरोज विद्या मंदिर समिति नांगल राजावतान
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः 28.09.2021

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर दौसा के आदेश कमांकः आर11एस(16)2002/5035–48 दिनांक 2.8.2005 के द्वारा ग्राम प्यारीवास तहसील तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 540 रकबा 5.61 है0 में से 2.00 है0 भूमि आदर्श सरोज विद्या मंदिर समिति नांगल राजावतान को स्कूल भवन व खेल के मैदान एवं महिलाओं के विकास के क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यो को संचालित करने के लिए उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान जयपुर के स्वीकृति आदेश कमांकःप.02(659) राज/03/02 दिनांक 31.5.2005 के परिप्रेक्ष्य में आवंटित हुई थी। आवंटिती द्वारा भूमि का उपयोग आवंटन प्रयोजनार्थ नहीं किये जाने से जिला कलक्टर दौसा के द्वारा आदेश कमांकः आर11एस(16)2002/3534 दिनांक 24.9.2020 से उक्त आवंटन आदेश को निरस्त किया जाकर भूमि को पूर्ववत् चरागाह दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। प्रार्थी द्वारा जिला कलक्टर दौसा के आदेश दिनांक 24.9.2020 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस0बी0सिविल रिट पिटीशन संख्या 12370/2020 दायर की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.3.2021 को आदेश पारित कर जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.9.2020 को अपाप्त किया जाकर याचिकाकर्ता को सुनवाई एवं सबूत का अवसर प्रदान करते हुए दो माह के भीतर विधिसम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश प्रदान किये गये है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय की पालना में प्रार्थी/याचिकाकर्ता को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलैक्ट्रेट दौसा से मूल अभिलेख एवं टिप्पणी तलब की गई। प्रार्थी (याचिकाकर्ता) न्यायालय में उपस्थित आया। प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में अभ्यावेदन/जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी को व्यक्तिगत रूप से सुना गया। प्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र/बयान व मौखिक कथन किया है कि संस्था आदर्श सरोज विद्या मंदिर समिति नांगल राजावतान को ग्राम प्यारीवास स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 541 में से 2.00 बीघा भूमि वर्ष 2005 में स्कूल

भवन व खेल मैदान व महिलाओं के विकास के लिए आवंटित हुई थी। आवंटन शर्त के अनुसार आवंटित भूमि पर स्कूल भवन का निर्माण कर वर्ष 2003–07 के शिक्षा सत्र में सक्षम अधिकारियों से मान्यता प्राप्त कर बालिका स्कूल शुरू किया गया जो वर्ष 2016–17 तक 10 वर्षों तक लगातार चला। प्रार्थी याचिकाकर्ता से विद्वेष रखने वाले हरिनारायण मीना ने इस भूमि पर अतिक्रमण कराने की नीयत से स्कूल बंद कराने हेतु अडंगा लगाना एवं स्कूल संचालन में बाधा पहुँचाना शुरू कर दिया। दुर्भाग्यवश 2017–18 में शिक्षा सत्र के समय क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप होने से एवं पडौसी काश्तकार के बाधा पहुँचाने के कारण लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। तत्कालीन तहसीलदार द्वारा भी पडौसी काश्तकार का स्कूल संचालन में अडंगा लगाने में सहयोग किया गया। स्थानीय जाति विशेष के लोगों एवं सजातीय तहसीलदार के दबाव में लोगों द्वारा जब बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया तो संस्था ने बडी लडकियों के कौशल वृद्धि हेतु आईटीआई खोलने हेतु निर्माण करने लगे तो पडौसी काश्तकार ने झगडा करके मजदूरों को मौके से भगा दिया। संस्था द्वारा आवंटन की शर्तों की पूर्ण पालना कर 10 वर्षों तक स्कूल संचालन किया। स्थानीय लोगों द्वारा डेंगू के प्रकोप के कारण बच्चों को स्कूल भेजना बंद करने के कारण अपरिहार्य कारणों से स्कूल बंद करना पडा। कोविड–19 की वजह से संपूर्ण लॉकडाउन लगने से विद्यालय संचालन बंद करना पडा था। अब संस्था जैसे ही स्कूल खुलेंगे, बसों से अन्य गांवों के गरीब बच्चों को लाकर युक्तियुक्त समय में स्कूल संचालन शुरू कर देगी। संस्था द्वारा लडकियों/ महिलाओं में रोजगार वृद्धि के उद्देश्य से आईटीआई कॉलेज खोलेगी एवं उसका संचालन करेगी। अतः स्कूल संचालन हेतु 2 वर्ष का मौका दिया जावे एवं संस्था को भूमि का आवंटन बहाल रखा जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि संस्था को वर्ष 2005 में राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की स्वीकृति से राजकीय चरागाह भूमि में से 2.00 है0 भूमि आवंटित की गई थी। संस्था द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई। आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने की शिकायतें विभिन्न जनप्रतिनिधियों से प्राप्त होने पर उक्त शिकायतों की जांच रिपोर्ट तहसीलदार नांगल राजावतान एवं उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान से तलब की गई। जिसकी पालना में उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि संस्था द्वारा विद्यालय संचालित नहीं किये जाने से जिस प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित हुई थी, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। इस संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्पष्ठ मार्गदर्शन प्रदान किया गया कि, यदि भूमि का प्रयोग आवंटित प्रयोजनार्थ नहीं किया जा रहा है तो आवंटन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए। आवंटिती द्वारा भूमि का प्रयोग आवंटन प्रयोजनार्थ नहीं किये जाने से जिला कलक्टर दौसा द्वारा आदेश दिनांक 24.9.2020 के द्वारा संस्था को किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि पूर्ववत चरागाह दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये गये है। जिला कलक्टर दौसा द्वारा भूमि के निरस्तीकरण आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ठ है कि संस्था को वर्ष 2005 में राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की स्वीकृति से राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 540 रकबा 5.61है0 में से 2.00 है0 भूमि आदर्श सरोज विद्या मंदिर समिति नांगल राजावतान को स्कूल भवन व खेल के मैदान हेतु व महिलाओं के विकास के क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों को संचालित करने के लिए भवन निर्माणार्थ निःशुल्क आवंटित की गई थी। आवंटन की शर्त संख्या 4 में उल्लेख किया हुआ है कि कब्जा देने के 06 माह के भीतर भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा एवं 02 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य करने हेतु उत्तरदायी होगा। भूमि आवंटन किये जाने के विरूद्ध विभिन्न जन प्रतिनिधियों एवं आम जनता की शिकायत प्राप्त होने पर उनकी जांच उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान एवं तहसीलदार नांगल राजावतान से करवाई गई। जिनके द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट प्रेषित की गई कि आवंटन की शर्त की पालना नहीं की गई है। तत्पश्चात मौका रिपोर्ट व स्कूल संचालन के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट भिजवाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद दौसा, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा, उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान व जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक दौसा को निर्देशित किया गया। उक्त अधिकारियों की पत्रावली में संलग्न संयुक्त जांच रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ठ हैं कि आवंटन आदेश की शर्त संख्या 4 की पालना करने में आवंटिती विफल रहा है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक दौसा द्वारा भी आवंटित स्थल पर कोई विद्यालय या शैक्षणिक संस्थान संचालित होने का प्रमाण मौजूद नहीं होना बताया है। याचिकाकर्ता का यह कथन सत्य नहीं है कि उक्त आवंटित भूमि पर संस्था द्वारा 10 वर्षों तक विद्यालय संचालन किया गया है। उक्त संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन उप सचिव, राजस्व(ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार से उक्त आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु अनुमोदन चाहे जाने पर राजस्व विभाग राजस्थान जयपुर से दिनांक 12.12.2019 को इस आशय का अनुमोदन प्राप्त हुआ कि यदि भूमि का प्रयोग आवंटित प्रयोजनार्थ नहीं हो रहा है तो आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जानी चाहिए। उक्त अनुमोदन के उपरांत जिला कलक्टर दौसा द्वारा आदर्श सरोज विद्या मंदिर समिति नांगल राजावतान को आवंटित की गई भूमि का आवंटन आदेश निरस्त किया जाकर पूर्ववत् चरागाह दर्ज किये जाने के आदेश विधिसम्मत पारित किये गये है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.9.2020 यथावत् रखा जाता है। राजस्व शाखा, कलैक्ट्रेट दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रतिष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.9.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा